

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन

भारत के अलग-अलग वर्गों के लोग अपनी-अपनी समस्याओं और कठिनाईयों से जूझ रहे थे। किसान, आदिवासी, उद्योगपति, मजदूर, औरतें, मध्यम वर्ग के लोग - सभी अपने जीवन के हालात सुधारने और सुखमय बनाने की लड़ाई में लगे थे।

तुमन पिछले पाठों में इन सब लोगों की समस्याओं और उम्मीदों के बारे में पढ़ा है।

क्या तुम बता सकते हो कि ये लोग अपने-अपने हालातों में किस तरह के बदलाव चाह रहे थे?

समय के साथ ये अनेकों आंदोलन और संघर्ष एक-दूसरे के बारे में जानने लगे और निकट भी आने लगे। अंग्रेज़ी हुकूमत का असर सभी को झेलना पड़ रहा था। अंग्रेज़ी हुकूमत को हटा कर एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश होने लगी। इस कोशिश में अलग-अलग वर्गों के लोग एक-दूसरे के संघर्षों का साथ देने लगे। स्वतंत्र राष्ट्र सभी की इकट्टी कोशिश और शक्ति से ही तो बन सकता था। यह था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस में भाग ले रहे सब वर्ग के लोग नए राष्ट्र में अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के सपने लेकर जुटने लगे।

नए राष्ट्र को बनाने के बारे में एक गंभीर और मुश्किल सवाल भी उठने लगा था। सवाल था कि नए राष्ट्र में भारत के अलग-अलग धार्मिक संप्रदायों को क्या स्थान मिलेगा? क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब संप्रदायों को बराबर महत्त्व मिलेगा? या हिंदूओं को सबसे प्रमुख स्थान मिलेगा क्योंकि वे अधिक संख्या में हैं? जो लोग या संगठन मुख्य रूप से अपने-अपने संप्रदाय का स्थान बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे, वे सांप्रदायिक संगठन कहे जाते

थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सबसे महत्वपूर्ण सांप्रदायिक संगठन थे।

नए स्वतंत्र राष्ट्र की लड़ाई में ये सवाल भी उठ रहे थे कि नए राष्ट्र में किन वर्गों के हित पूरे होंगे? भारत का नया, स्वतंत्र राष्ट्र ज़मींदारों का होगा या किसानों का होगा? मिल मालिकों का होगा या मजदूरों का होगा? आदिवासियों का होगा या साहूकारों का होगा?

स्वतंत्र होने के बाद नए राष्ट्र में लोगों के विकास के बारे में भी कई विचार बनने लगे। कुछ लोग गांधीवादी तरीके से भारत के विकास की उम्मीद कर रहे थे, कुछ लोग पूंजीवादी तरीके से विकास करने की योजना बना रहे थे और कुछ लोग चाह रहे थे कि स्वतंत्र भारत का विकास समाजवादी तरीके से हो। तुम विकास के इन अलग-अलग विचारों के बारे में गुरुजी से चर्चा करो।

लोगों में नए राष्ट्र के सपने अलग-अलग थे और संघर्ष के तरीके भी कई अपनाये गए। आओ, अब राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न तरीकों और चरणों के बारे में पढ़ें।

सरकार अपने वादे पूरे करे

तुम जानते हो कि पढ़े-लिखे लोगों का एक अखिल भारतीय संगठन 1885 में बना था - 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'। इसका हर साल तीन दिन का अधिवेशन हुआ करता था जिसमें देश के हर प्रांत से प्रतिनिधि भाग लेने आते थे। इनमें सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी, फिरोज़शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे बहुत प्रसिद्ध हुए।



सन् 1919 में अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रतिनिधिमंडल

कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगो की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए - इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे।

शुरू में पढ़े-लिखे लोगो के मन में अंग्रेज़ शासन पर विश्वास था। अंग्रेज़ यह बतलाने की कोशिश करते थे कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और अंग्रेज़ो की देखभाल में ही उसका सही विकास होगा। वे कहते थे कि भारत का विकास करने के लिए ही वे उस पर शासन कर रहे हैं। पढ़े-लिखे लोग यह चाहते थे कि सरकार जो बातें कहती है और जो वादे करती है, उसे पूरी तरह निभाए। इसलिए वे सरकार से बार-बार कृपा की प्रार्थना करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके सुझाव ज़रूर मानेगी।

देश के हर हिस्से से भारतीयों द्वारा छापे जा रहे अखबार निकल रहे थे, जिनमें लोगो की कठिनाईयो व सरकारी नीतियों की विस्तार से चर्चा होने लगी।

लेकिन अंग्रेज़ सरकार पर इन चीज़ों का ख़ास असर नहीं पड़ा। सरकार को लगता था कि मुट्टी भर पढ़े-लिखे

लोगो की बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।"

जब यह बात स्पष्ट होने लगी कि अंग्रेज़ सरकार पर कांग्रेस के प्रस्तावों व सुझावों का असर नहीं पड़ रहा है तो विरोध की भावना तीखी और तेज़ होने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार "केसरी" में लिखा - "बारह वर्षों से चिल्ला-चिल्ला कर हमारे गले बैठ गए हैं, पर सरकार के कानों में जूँ तक

नहीं रेगी हैं। अब यह ज़रूरी है कि हम गांव-गांव में आम लोगो को राजनीति की शिक्षा दे, उन्हें उनके अधिकार बताएं व अधिकारों के लिए लड़ना सिखाएं।"

तिलक ने लोगो के सामने यह विचार स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार लोगो के सहयोग से ही चल पाती है। इसलिए उनका कहना था - "तुम ग़रीब हो और दबाए हुए हो। फिर अपनी ताकत का अहसास करो। अगर तुम न चाहो तो यह शासन नहीं चलेगा। तुम्हीं तो रेल और सड़कें बिछाते हो, तुम्हीं तो डाक घर चलाते हो, लगान इकट्ठा करवाते हो। अंग्रेज़ शासन की कृपा की आस में मत जीओ। अपनी आत्म-शक्ति इतनी बढ़ाओ कि अपने अधिकार जीत पाओ।"

तिलक ने ही लोगो में जोश भरने वाला यह गरजता हुआ नारा दिया -



बाल गंगाधर तिलक

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।"

तिलक के अलावा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय व कई और लोग इन नए विचारों व भावनाओं को मानते थे और फैलाते थे। इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में "गरम दल" कहा जाने लगा। इनकी तुलना में रानाडे, फिरोजशाह मेहता आदि लोगों को "नरम दल" के नाम से पुकारा जाने लगा।

नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों और तरीकों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं? चर्चा करो।

बहिष्कार और स्वदेशी

अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाए अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से दो तरह के कार्यक्रम बने -

एक, अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार करना, यानी उन्हें न खरीदना। दूसरा, 'स्वदेशी' यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीजों का ही उपयोग करना। 'बहिष्कार' और 'स्वदेशी' की बात लोगों में एक आंदोलन के रूप में 1905 से तेजी से फैली।

1905 में अंग्रेज सरकार के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसीडेन्सी (प्रांत) को दो हिस्सों में बांट दिया था - पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। देश के लोगों के बीच इस तरह फूट पैदा करने की कूटनीति के खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। तब अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर बनाने के प्रयत्न जोर पकड़ने लगे।

अपना विरोध प्रकट करने के लिए लोगों ने बड़ी मात्रा में विदेशी सामान का बहिष्कार किया। जगह-जगह अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाई गईं। 1906 में कलकत्ता बंदरगाह में विदेशी कपड़ा, सूत, जूते, सिगरेट - पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम

मात्रा में आए। खास कर विदेशी सिगरेट और जूते की मांग आधे से भी कम हो गई।

लोगों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते, "हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल-कालेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे। हम अपनी पंचायतों व कचहरियां चलाएंगे। हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्म-शक्ति बढ़ाएंगे।"

यह थी स्वदेशी की भावना। इसकी प्रेरणा से कई स्कूल, कॉलेज, कारखाने, पंचायतें शुरू की गईं।

लोग यह क्यों सोचते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज्य मिल पाएगा - चर्चा करो।

हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन

बहिष्कार व स्वदेशी का तरीका भी कुछ लोगों को संतुष्ट न करता था। उन्हें लगता था कि स्वदेशी भावना को फैलाकर स्वराज्य हासिल करने में बहुत देर लग जाएगी। उन्हें अंग्रेजों से लड़ने का एक और तरीका ज्यादा उचित लगता था। वह था हथियारों का इतना काम करके अंग्रेज अफसरो की हत्या करना। "हर जिले में कुल अंग्रेज हैं ही कितने से? अगर हम पक्का इरादा कर लें तो अंग्रेज शासन एक दिन में खत्म हो सकता है।" औरोबिंदो घोष ने 'युगान्तर' अखबार में लिखा।

इस भावना से कई खुफिया संगठन बने और उनमें देश के प्रेम व बलिदान की भावना से अनेक नवयुवक आए। उन्होंने देश-विदेश से अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे किए। इसके लिए वे सरकारी खजाने और सरकारी शस्त्र भंडार पर छापे भी मारे थे। अंग्रेजों की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बसु, प्रफुल चाकी आदि क्रांतिकारी बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्हें फांसी की सजा भुगतनी पड़ी पर उनके बलिदान ने लोगों को गहरे रूप से देश प्रेम की ओर खींचा।



गांधीजी

अहिंसा और सत्याग्रह

स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सब को उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने

वालों में गांधीजी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना ज़ोर-ज़बरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त कर सकना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए (यानी सत्याग्रह)। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

गांधीजी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए - अन्याय करने वाले का सहयोग न करना (यानी असहयोग करना) और अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना (यानी अवज्ञा करना)। गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा।

जब गांधीजी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधीजी लोगों की छोटी-छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वे अंग्रेज सरकार से मांगे करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाए, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की

बिक्री बंद करे (शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी)। गांधीजी के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी मात्रा में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे।


गांधीजी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि हमेशा से ठुकराए गए लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें।

तुमने सहायक वाचन पुस्तक में गांधीजी की जीवनी विस्तार से पढ़ी होगी और उनके जीवन की ऐसी बहुत और बातों को समझा होगा। ऊपर दिए अंश को पढ़ कर बताओ कि गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें जोड़ीं?

असहयोग आंदोलन 1920-22

1915 के बाद स्वराज्य की मांग ज़ोर पकड़ रही थी। इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कई कदम उठाए। 1919 में रौलट ऐक्ट नाम

1922 में असहयोग आंदोलन का एक जुलूस



का कानून बना। इसके चलते अंग्रेज़ सरकार किसी को भी कोर्ट में लाए बगैर जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई।

क्या तुम समझा सकते हो कि लोगों ने रौलट ऐक्ट का ज़ोरदार विरोध क्यों किया?

लोगों को सबक सिखाने के लिए जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाईं जिससे लगभग 400 लोग मारे गए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है।

ऐसी विकट स्थिति में गांधीजी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेज़ी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज़ शासन का सहयोग न करना। आओ, इसकी कुछ झलकें देखें -

"अंग्रेज़ों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं। हम क्यों उनका शासन संभालें?" यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में मुंशी प्रेमचंद भी थे जो गोरखपुर की सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ी और एक राष्ट्रवादी अखबार में काम करने लगे।

अनेकों छात्रों ने सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। उदाहरण के लिए बिहार में 41 स्वदेशी हाई स्कूल और 600 स्वदेशी माध्यमिक व प्राथमिक शालाएं खोली गईं जिनमें जून 1922 तक 21,500 छात्र दर्ज हुए।

बिहार में ही लोगों को चरखे और कपास बांटने के लिए 48 खादी भंडार खोले गए और 3 लाख चरखे बांटे गए। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले।

अंग्रेज़ी कपड़े की दुकानों व शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेज़ी चीज़ों के बहिष्कार के साथ-साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। इसमें गांधीजी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत कातने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर-घर में देश को आत्म-निर्भर बनाने की भावना मज़बूत बनी।

छोटे-बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था 'इंकलाब जिन्दाबाद', 'चरखा चला-चला के हम स्वराज्य लेंगे' और 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते हुए आता और शान्तिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज़ शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शान्ति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह कर के करते।

कलकत्ता में असहयोगियों का जुलूस



1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया - लोग उसके स्वागत में नहीं गए और बंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही।

दूर दराज़ के इलाकों में, गांव-गांव में गांधीजी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मज़दूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज़ राज्य खत्म हो जाएगा - और "गांधीजी का स्वराज्य" आ जाएगा।

देश में जहाँ-जहाँ गांधीजी जाते लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ते। किसानों और आदिवासियों को यह विश्वास हो गया था कि स्वराज्य में गांधीजी लगान कम करवा देंगे और वन विभाग के नियम खत्म करवा देंगे। वन विभाग के नियमों की परवाह न करते हुए कई जगहों के आदिवासी व किसान जंगलों में अपने द्वार चरने ले गए और जंगल से लकड़ी काट लाए।

स्वराज्य की खुशी में झारग्राम के सांथाल आदिवासियों ने हाट और ज़मींदारों के जंगल लूटे।

जलपाईगुड़ी के सांथालों ने गांधी टोपी पहन कर पुलिस के दल पर हमला किया। उन्हें यह विश्वास था कि गांधी टोपी पहनने से बंदूक की गोली उन्हें नहीं मार सकती।

सूरमा घाटी के चाय बगानों से 8,000 मज़दूर बगान छोड़ कर गांव को लौटने लगे। वे यह घोषणा करते हुए गए कि 'गांधी महाराज' ने उन्हें जाने का आदेश दिया है और 'गांधी महाराज' उन्हें गांव में ज़मीन दिलवाएंगे।

1920-22 के बीच अवध के किसान बाबा रामचंद्र के साथ ज़मींदारों का विरोध कर ही रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में किसानों ने जगह-जगह गांधीजी के नाम पर ज़मींदारों का विरोध किया और बटाई देने से मना किया।

इस तरह देश भर में उथल-पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़बरदस्त भावना उमड़ पड़ी।

पर, 1922 में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन बंद करवा दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चोरी-चौरा नाम की जगह पर किसानों के जुलूस ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। इसमें 22 सिपाही मारे गए। किसान थाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू की। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में सरकार ने 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काले पानी का दंड दिया।

गांधीजी ने चोरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया - समझाओ।

पूर्ण स्वराज्य का नारा और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930-32

1928 में अंग्रेज़ सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बैठाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिलकुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज़ सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ-जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुईं और "साइमन वापस जाओ" का नारा ज़ोरों से गूँजा।

28-30 नवंबर 1928 को अवध के बड़े ज़मींदारों ने लखनऊ में साइमन के स्वागत में एक समारोह रखा। इसके विरोध में लखनऊ में कई जुलूस निकले। साइमन



मद्रास में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस

का विरोध करने के लिए लोगो ने गुब्बारो पर लिखा 'साइमन वापस जाओ' और ये गुब्बारे समारोह स्थल के ऊपर उड़ाए।

इन विरोध प्रदर्शनों में बहुत लोग पुलिस द्वारा पीटे गए, जिनमें जवाहर लाल नेहरू भी थे।

1929 में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब किसी भी हालत में अंग्रेज़ शासन के अंतर्गत नहीं रहना है। अब भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए गांधीजी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यानी, देश के नागरिक खुल्लम खुला, पर शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कानून तोड़ेंगे।

इस आंदोलन की शुरुआत में गांधीजी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। अंग्रेज़ सरकार के कानून के अनुसार सिर्फ सरकार नमक बनवा के बेच सकती थी और लोगो से नमक पर कर भी वसूल करती थी। नमक पर कर देना एक ऐसी बात थी जो देश भर के छोटे-बड़े, सभी लोगो पर असर डालती थी। गांधीजी ने तय किया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून की अवज्ञा करके ही शुरू करनी चाहिए। उनके साथियो ने साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नाम की जगह तक पैदल यात्रा की और समुद्र तट पहुंच कर नमक बनाया।

इसके बाद देश में सैकड़ों जगहों पर लोगो द्वारा नमक बनाया गया। खास कर उन जगहों पर जो समुद्र के किनारे थी।

दूसरी जगहों पर सरकार के और कानून भी तोड़े गए। यह तय हुआ कि किसान सरकारी लगान नहीं चुकाएंगे। जिन क्षेत्रों में ज़मींदार थे, वहां किसानों से कहा गया कि वे ज़मींदार को लगान देते रहें पर सरकार उनसे जो चौकीदारी टैक्स लेती है वो देने से मना कर दें।

मध्य भारत के इलाकों में, जहां जंगल बहुत थे, आदिवासियों और किसानों से जंगल कानून तोड़ने के लिए कहा गया।

एक बार फिर देश भर, गांव-गांव और छोटे-बड़े शहरों में आंदोलन की लहर चली। रायपुर, भंडारा, सिवनी, अमरावती, बैतूल में आदिवासियों और किसानों ने जंगल से बड़ी मात्रा में लकड़ी काटी।

दांडी में नमक उठाते हुए गांधीजी



उत्तर प्रदेश के किसानों ने चौकीदारी टैक्स चुकाने से इनकार तो किया ही पर साथ-साथ ज़मींदारों को बटाई देने से भी मना करने लगे।

महाराष्ट्र में शोलापुर की कपड़ा मिलों के मज़दूरों ने गांधीजी की गिरफ्तारी की खबर सुन कर 7 मई को हड़ताल कर दी। मज़दूरों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकाले, शराब की दुकानें जलाई, पुलिस चौकियाँ, कचहरी और म्युनिसिपैल्टी की इमारतें और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने लगभग 7 दिन तक शोलापुर से अंग्रेज़ प्रशासन को उखाड़ फेंका और अपना अलग प्रशासन स्थापित किया जिसमें उन्होंने शहर के लोगों में से ज़िला मजिस्ट्रेट से लेकर थानेदार तक सब अधिकारी नियुक्त कर दिए।

उधर बंबई के व्यापारियों ने सबके सामने शपथ ली कि वे विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर हुआ। बंबई में 1929-30 में 124 करोड़ गज़ विदेशी कपड़ा मंगाया गया था। बहिष्कार के चलते 1930-31 में सिर्फ 52 करोड़ गज़ विदेशी कपड़ा मंगाया गया।

उन्हीं दिनों कांग्रेस पार्टी ने तय किया था भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा होगा। जगह-जगह लोगों ने अंग्रेज़ सरकार का झंडा उतार कर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पुलिस लोगों को ऐसा करने से रोकती तो लोग पुलिस को चकमा दे कर झंडा फहरा के आते।

देश भर में हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए। कई बार जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता और मजिस्ट्रेट उनसे कहता - "क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है?" तो लोग जवाब देते - "नहीं, हम अंग्रेज़ न्यायाधीश से कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम उसे न्यायाधीश स्वीकार ही नहीं करते।" फिर मजिस्ट्रेट सज़ा सुना देता और लोगों को कई महीनों की जेल हो जाती।

जन आंदोलन और समाजवादी विचार

अंग्रेज़ शासन के खिलाफ जब जनता आंदोलन करने लगी तो कुछ नए सवाल खड़े हो गए। जैसे, राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ा जाए या ताकतवर भारतीयों से भी न्याय और समानता के लिए लड़ा जाए? क्या हिंसा बिलकुल अनुचित है?

आंदोलन की राह पर आम लोग कई ऐसी बातें करने लगे जो गांधीजी को गलत लगती थीं। पहली बात यह थी कि लोग कई बार हिंसा का रास्ता अपनाने पर मज़बूर हो जाते थे। दूसरी बात यह कि लोग सिर्फ अंग्रेज़ों का विरोध करने की बजाय उन भारतीयों का भी विरोध करने लगे थे जिनसे वे दुखी और परेशान थे। जैसे, किसान अंग्रेज़ों से लगान रोकने के साथ-साथ ज़मींदारों को बटाई देना बंद करने लगते, व साहूकारों के बहीखाते जला देते। मिलों के मज़दूर काम रोककर हड़ताल पर निकल आते। चाय बागानों के मज़दूर बागान छोड़कर चले जाते। आदिवासी जंगल जलाने लगते और वन विभाग के अधिकारियों को मार भगाते। दूर-दराज़ के गांव-शहरों में बिखरे लोगों को यह बात समझ में आई थी कि गांधीजी ने सत्य व न्याय के लिए लड़ने का आदेश दिया है और वे सब अपने-अपने हिंसा से सत्य व न्याय के लिए लड़ने निकल पड़ते। वे यह मानते थे कि वे गांधीजी के आदेश का ही पालन कर रहे हैं।

पर गांधीजी हिंसा के खिलाफ थे और वे यह भी नहीं चाहते थे कि ज़मींदारों, साहूकारों व मिल मालिकों के खिलाफ लोग आंदोलन करें। वे सोचते थे कि ये झगड़े आपसी प्रेमभाव से सुलझ जाने चाहिए। फिर वे सब लोगों का ध्यान अंग्रेज़ शासन से लड़ने में लगाए रखना चाहते थे और चाहते थे कि दूसरी समस्याएं स्वराज्य मिलने के बाद उठाई जाएं। इन विचारों के कारण गांधीजी ने कई बार लोगों के आंदोलन पर रोक



भगत सिंह

लगाने व सीमा में रखने की कोशिश की। चौरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेना इसी का एक उदाहरण है।

इनसे कुछ हटकर समाजवादी लोगों के विचार थे। वे ऐसे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे जो अंग्रेजों से भी न्याय दिलवाए और मिल मालिकों व ज़मींदारों से भी। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कुछ साल कांग्रेस में भी कई समाजवादी लोगों ने काम किया पर बाद में वे कांग्रेस से अलग हो गए और अलग पार्टियां बनाईं।

समाजवादी विचारों को रखने वाले कुछ लोगों के नाम ये हैं - एस.ए. डांगे, मुज़फ्फर अहमद, एम.एन. राय, भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आदि। इन लोगों का विचार बन रहा था कि किसानों और मज़दूरों के संगठन बनने चाहिए व उन्हें अंग्रेजों के अलावा ज़मींदारों, साहूकारों और मिल मालिकों के खिलाफ भी संघर्ष करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता के बाद जो नया राष्ट्र बनेगा, वह मज़दूरों व किसानों का राष्ट्र हो। इन लोगों ने किसान सभाओं व मज़दूर

संगठनों को राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक स्थान देने की कोशिश की।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन

1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस और अमरीका मिलकर जर्मनी, जापान व इटली से लड़ रहे थे। इस युद्ध के लिए इंग्लैंड भारत के लोगों और धन का उपयोग करना चाहता था। इस मौके पर कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि युद्ध में भारत के सहयोग के बदले में उसे स्वराज्य मिलना चाहिए। पर अंग्रेज़ सरकार इस मांग को मानने को तैयार नहीं थी। जब स्थिति यहां तक पहुंची तो 1942 में गांधीजी ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" आंदोलन शुरू किया। गांधी, नेहरू व अन्य नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोग और भी भड़क गए। बड़ी संख्या में अंग्रेज़ सरकार के दफ्तर, कोर्ट-कचहरी, डाक घर, पुलिस थाने जलाए गए। शोलापुर, मद्रास और कलकत्ता में मज़दूरों ने विरोध ज़ाहिर करते हुए हड़ताल की और पुलिस से मुठभेड़ की। हज़ारों लोगों ने गिरफ्तारी दी।

सुभाष चंद्र बोस



सुभाषचंद्र बोस ने बर्मा जाकर जापान की मदद से एक भारतीय सेना खड़ी की। और अपनी इस आज़ाद हिंद फौज के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। उनका हरादा था कि इस सेना से अंग्रेज़ों को हराकर भगा दिया जाएगा।

1946 में अंग्रेज़ सरकार की नौ-सेना में भारतीय नौ-सैनिकों ने बगावत कर दी। जगह-जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देख कर अंग्रेज़ शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राज़ी हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ शासन से आज़ादी मिल गई।

भारत-पाकिस्तान विभाजन

स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने-अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़े। जगह-जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे।

अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। पर अनेकों हिंदू-मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन

मोहम्मद अली जिन्नाह

दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत मार-काट मच गई व एक-दूसरे के प्रति बहुत भय और घृणा फैलाई गई। गांधीजी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की बूढ़ी उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने-बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, "मैं अपनी जान की बाज़ी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जाएं। उन्हें आत्म-सम्मान के साथ चलना है।"



वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान, दोनों के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत का विभाजन क्यों और कैसे हुआ यह एक बहुत दुखद और कठिन कहानी है जिसके बारे में तुम आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे।

राजा-महाराजाओं के शासन की समाप्ति

तुम जानते हो कि अंग्रेज़ों के शासन के अलावा भारत के कई हिस्सों में राजा-महाराजाओं का शासन

भी था। भारत में 562 ऐसे छोटे-बड़े राज्य थे। वे अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे पर जब अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने लगे तो राजाओं ने चाहा कि वे अपना-अपना स्वतंत्र राज्य अलग चलाएँ। लेकिन इन रजवाड़ों में भी कई सालों से आम लोगों के आंदोलन चल रहे थे जो चाहते थे कि राजाओं, ज़मींदारों, जागीरदारों का शासन खत्म हो। वे भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार व लोगों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। वे भारत राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते थे।



जवाहरलाल नेहरू और वल्लभाई पटेल

1947-48 में भारत की नई स्वतंत्र सरकार ने इन छोटे-बड़े रजवाड़ों को भारत में मिलाया। जो राजा नहीं माने, उनके राज्य में सेना भेज कर यह काम पूरा किया गया। राजाओं, नवाबों को हटाकर पेशन दे दी गई। इस पेशन को प्रिवी-पर्स कहा जाता था। राजाओं से ये समझौते करवाने का काम मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया। इस तरह आज के भारत के सब हिस्से एक राष्ट्र के अंतर्गत आए।

कई सालों बाद, 1971 में राजाओं के प्रिवी-पर्स खत्म कर दिए गए।

देश आज़ाद हुआ और एक नया राष्ट्र बना। लंबे समय से चले आ रहे कई संघर्ष सफल हुए और अपनी मंज़िल पर पहुंचे। पर अनेकों लोगों के संघर्ष और सपने 1947 में भी पूरे नहीं हुए। उनके प्रयत्न स्वतंत्रता के बाद भी जारी हैं।



अभ्यास के प्रश्न

- नीचे लिखे हुए आंदोलनों का क्या मतलब था और उनमें लोग किस तरह भाग लेते थे -
 - बहिष्कार
 - स्वदेशी
 - असहयोग
 - नागरिक अवज्ञा आंदोलन
- गांधीजी के सत्याग्रह कार्यक्रम में हिंसात्मक कामों पर पाबंदी क्यों थी?
- आम जनता के आंदोलनों के बारे में गांधीजी और समाजवादियों के विचारों में क्या फर्क था?
- गांधीजी की हत्या किन कारणों से हुई?
- स्वतंत्र भारत में पुराने राजाओं को क्या स्थान दिया गया?